③

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

रेभन्यू रिवीजन (Revenue Revision)वाद सं0 :–73/2023–24

भुनेश्वर सिंह

बनाम

भुखा सिंह उर्फ रामअवतार सिंह वगै0

22.11.23	अपीलार्थी भुनेश्वर सिंह पिता–स्व0 लोहरा सिंह, ग्राम–भुरसो थाना–पुसो जिला–गुमला के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–16/2019–20 दिनांक–10.03.2022 में भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में Limitation Act. की धारा–05 के प्रावधानों के तहत् Delay Condonation के अनुरोध के साथ रिवीजन दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के Revenue Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत भूमि मौज़ा– भुरसो के खाता सं0–154 प्लॉट सं0–1031, 1033, 1034, 1042, 1991, 1992, 1851, 1966, 1967, 2194 एवं प्लॉट सं0–3161 रकबा क्रमशः– 0.06 एकड़, 0.35 एकड़, 0.31 एकड़, 0.20 एकड़, 0.32 एकड़, 0.14 एकड़, 0.04 एकड़, 0.11 एकड़, 0.11 एकड, 0.46 एकड़, एवं 0.95 एकड़ कुल रकबा–3.05 एकड़ भूमि खरीदगी भूमि है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित प्रश्नगत प्लॉट का ऑनलाईन रसीद दिनांक 11.04.2023 को लोहरा सिंह के नाम निर्गत है। अपीलार्थी लोहरा सिंह के उत्तराधिकारी है जिनको निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार बनाये ही दाखिल खारिज अपील वाद सं0–16/2019–20 में आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पक्षकार बनाते हुए Due process का पालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेजें। **लेखापित एवं संशोधित** उपायुक्त, गुमला उपायुक्त, गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.02.20 17:32:51 +05:30
Location: 192.168.29.126

Scanned with OKEN Scanner